

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10497 / 3108

दिनांक :- 24/06/2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता मीणा [लिंक न. 10497] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), निवाई, टोंक - [1000653] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 02/01/2019 से 11/01/2019 तक 10 दिवस (निकटतम प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 10 दिवस

उक्त कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10497 / 3108

दिनांक :- 24/06/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), निवाई, टोंक
2. कोषाधिकारी टोंक
3. श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता मीणा [10497] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स काडर), निवाई, टोंक
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)